मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२०

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०२०

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ५ का संशोधन.

४. धारा ५-क का अंतःस्थापन.

५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२०

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

(२) यह इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

(ङङङ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक से भिन्न, कृषि विपणन का संचालक या अन्य कोई अधिकारी, जो कि राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के प्रबंधन को निदेशित, शासित और नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङङङङ) ''इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग'' से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज की ट्रेडिंग जिसके लिए धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) के अधीन स्थापित कम्प्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग संविदा, मोल-भाव, सूचना का आदान-प्रदान, अभिलेखों का रख-रखाव और संबंधित गतिविधियां इलेक्ट्रानिक रूप से की जाती हैं;'';

(दो) खंड (डड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(डड १) ''निजी मण्डी प्रांगण'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन स्थापित मण्डी प्रांगण.''.

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) राज्य में,—

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रबंधित मुख्य मण्डी प्रांगण;

(ख) मण्डी समिति द्वारा प्रबंधित उप मण्डी प्रांगण;

(ग) धारा ५-क के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति धारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी मण्डी प्रांगण; और

(घ) इलेक्ट्रिानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म,

होंगे.''.

धारा ५-क का अंत:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

संचालक, कृषि मण्डी की शक्तियां और कृत्य.

"५-क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालक, कृषि मण्डी,—

(क) संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिये कृषि उत्पाद के ट्रेडिंग;

(ख) निजी मण्डी प्रांगण स्थापित करने के लिए;

(ग) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा.

(२) राज्य सरकार उन निर्बधंनों और शर्तों को विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी;

(३) संचालक, कृषि मण्डी, ट्रेडिंग और संबंधित गतिविधियों, निजी प्रांगण और इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, निगमित करेगा;

(४) मण्डी फीस के उद्ग्रहण के संबंध में इस अधिनियम की धारा १९ के उपबंध, उपधारा (१) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन व्यापार के लिये उस सीमा तक और उस रीति में लागू होंगे, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ४ सन् २०२०) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में किसानों की कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतें दिलाने के उद्देश्य से उनको कृषि उपज विक्रय हेतु विभिन्न विकल्प, जिसमें मंडी/उपमंडी प्रांगण, प्राइवेट मंडी यार्ड, प्राइवेट मंडी उप यार्ड, डायरेक्ट क्रय केन्द्र (इसमें शासकीय खरीदी केन्द्र भी शामिल होंगे), उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा २ में संशोधन, धारा ५(१) में संशोधन तथा धारा ५-क के अन्त:स्थापन को यथोचित रूप से संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान-सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ४ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मंडल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २५ अगस्त, २०२०

कमल पटेल
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ द्वारा (संचालक कृषि मंडी की शक्तियों एवं कृत्यों के संबंध में) विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कृषि उत्पाद की ट्रेडिंग, निजी मंडी प्रांगण की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना, ट्रेडिंग और संबंधित गतिविधियों, निजी प्रांगण और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म को निगमित करने की रीति तथा मंडी फीस के उद्ग्रहण एवं व्यापार की सीमा विहित किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगें, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में किसानों की कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतें दिलाने के उद्देश्य से उनको कृषि उपज विक्रय हेतु विभिन्न विकल्प, जिसमें मंडी/उपमंडी प्रांगण, प्राइवेट मंडी यार्ड, प्राइवेट मंडी उप यार्ड, डायरेक्ट क्रय केन्द्र (इसमें शासकीय खरीदी केन्द्र भी शामिल होंगे), उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा २ एवं धारा ५(१) में संशोधन तथा धारा ५-क के अन्त:स्थापन को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना आवश्यक था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान-सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ४ सन् २०२०) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) से उद्धरण

*   *   *   *

धारा २ खण्ड (डङ) ''संविदा खेती'' से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि-उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि-उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी,

*   *   *   *

(डड) ''छोटा व्यापारी'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टाक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि-उपज दस क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि-उपज चार क्विंटल से अधिक न रखता हो :

परन्तु वह किसी भी एक दिन में चार क्विंटल धान्य से या दो क्विंटल तिलहनों, दालों तथा तन्तु फसलों से अधिक का क्रय नहीं करेगा.

*   *   *   *

धारा ५(१)—मण्डी प्रांगण तथा मूल मंडी—

(१) (क) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में,—

(एक) एक मण्डी प्रांगण होगा; और

(दो) एक से अधिक उपमण्डी प्रांगण हो सकेंगे;

(ख) प्रत्येक मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण;
के लिए एक मूल मण्डी होगी.

*   *   *   *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.